भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3123
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

3123. श्री सौमित्र खानः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में, विशेष रूप से बांकुड़ा जिले सहित पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उचगति वाले इंटरनेट और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) लागू कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनबीएम के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनबीएम के अंतर्गत बांकुड़ा के सभी गांवों और बस्तियों में सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो इसके पूरा होने की संभावित तिथि क्या है; और

(घ) बांकुड़ा के पिछड़े और जनजातीय ब्लॉकों में किफायती इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और स्थानीय डिजिटल सामग्री के प्रावधान सहित डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क), (ख) और (घ): जी, हाँ। सरकार ने डिजिटल संचार अवसंरचना के त्वरित विस्तार को तेज करने, डिजिटल और सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए

हैं जिससे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले सहित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में सभी के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी:

i. 14 मई, 2022 को केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे दूरसंचार अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और टेलीकॉम टावर लगाने के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों को आसान बनाने में मदद मिली।
ii. 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के तहत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 (आरओडब्ल्यू नियम 2024) के माध्यम से आरओडब्ल्यू अनुमतियां प्राप्त करने और लागू शुल्क की प्रक्रिया को और अधिक एक समान बनाया गया है। ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी हैं। ये नियम देश में दूरसंचार अवसंरचना संस्थापना को और सुव्यवस्थित और तेज कर रहे हैं।

केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के अनुसार अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीकृत आरओडब्ल्यू पोर्टल को और उन्नत किया गया है। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आदेश/अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनमें संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियम, 2024 का पालन करने के निदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों को अभी भी ऐसे आदेश जारी करने हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य से भी कई बार आवश्यक आदेश/अधिसूचना जारी करने और केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के अनुरूप अपने आरओडब्ल्यू पोर्टल को उन्नत करने का अनुरोध किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों (पिछड़े और जनजातीय ब्लॉकों सहित) में स्थिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित भी कर रहा है और डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से डिजिटल अंतर को पाट रहा है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों (मांग के आधार पर) को ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना।
ii दूरस्थ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, द्वीपों, एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट / ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं (4जी सहित) के लिए विभिन्न स्कीम।

दिनांक 4.8.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट चरण-1 और चरण-2 के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष जीपी में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव तथा उपयोग

के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया। शेष गैर-जीपी गांवों को उनकी संबंधित जीपी से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल में 3,340 जीपी में से कुल 2,677 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा एबीपी के तहत 663 जीपी की योजना बनाई गई है। बांकुरा जिले में सभी 190 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। भारतनेट परियोजना के तहत बिष्णुपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 37 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
एलडब्ल्यूई-I (वामपंथी उग्रवाद) स्कीम के तहत, पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पांच स्थानों पर मोबाइल टावर चालू हैं।

(ग) बांकुरा जिले में, सभी 190 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

*****